भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2352
दिनांक 21 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य ढांचे में सुधार करना

2352 श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चिकित्सा उपचार के लिए निजी अस्पतालों द्वारा विभिन्न शुल्कों में असीमित भिन्नता में एकरूपता लाने के लिए कोई दिशा-निर्देश बनाने पर विचार कर रही है ताकि आम आदमी को इलाज के लिए ज्यादा धन देने के लिए मजबूर न होना पड़े;
(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न मेडिक्लेम कंपनियां निजी अस्पतालों में इलाज के लिए दरें तय करने में समर्थ हैं
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आम आदमी के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की दरें निर्धारित करने पर विचार करेगी ताकि अस्पताल उनसे अधिक शुल्क न ले सकें; और
(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ) भारत सरकार ने देश में नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (सीई अधिनियम, 2010) को अधिनियमित किया है और नैदानिक स्थापनाओं (दोनों सरकारी और निजी) के रजिस्ट्रीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक स्थापन (केंद्र सरकार) नियम, 2012 को अधिसूचित किया है।

अधिनियम के तहत, पंजीकरण और उसे जारी रखने के लिए, प्रत्येक नैदानिक स्थापना को अन्य शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों को भी पूरा करना आवश्यक है:

i. रोगियों के लाभ के लिए प्रत्येक प्रकार की सेवा और उपलब्ध सुविधाओं के लिए प्रभारित दरों को स्थानीय और अंग्रेजी भाषा में किसी विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित करना।
ii. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी मानक उपचार दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना। अब तक एलोपैथी में 227, आयुर्वेद में 18 और सिद्ध में 100 चिकित्सा स्थितियों के लिए मानक उपचार दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं।

iii. राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और जारी दरों की सीमा के भीतर प्रत्येक प्रकार की प्रक्रिया और सेवा के लिए दरें चार्ज करना। इसके लिए, चिकित्सा प्रक्रियाओं की मानक सूची और लागत निर्धारण के लिए मानक टेम्पलेट को अंतिम रूप दिया गया है और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है जहां यह अधिनियम लागू है।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), सरकार का प्रमुख कार्यक्रम के तहत, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आबादी के गरीब और कमजोर वर्गों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 23.09.2018 को शुरु की गई एबी-पीएमजेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी बीमा/आश्वासन योजना है। यह योजना 2011 के सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना डेटाबेस के अनुसार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चयनित अभाव और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर पहचाने गए 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है ।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) - आयुष्मान भारत- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की कार्यान्वयन एजेंसी ने 06 अप्रैल, 2022 को संशोधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) शुरू किया है। एचबीपी 2022 में 27 विशिष्टताओं में मध्यम, विशिष्ट और उपशामक देखभाल सहित 1,949 उपचार प्रक्रियाएं शामिल हैं। एचबीपी के तहत उपचार प्रक्रियाओं की दरें लागत, हितधारकों के परामर्श और योजना के उपयोग की समीक्षा के अनुसार तय की गई हैं। इसके अलावा, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की लागत (सीएचएसआई) संबंधी अध्ययन ने भी इस संबंध में सूचित निर्णय लेने का काम किया। कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय डेटासेट के ऊपर राज्य विशिष्ट पैकेज जोड़ने की छूट प्रदान की गई है। साथ ही, उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पैकेज की लागत में परिवर्तन करने की छूट भी प्रदान की गई है। एचबीपी 2022 के तहत, सेवा प्रदायगी की लागत में क्षेत्रीय अंतरों की गणना करने के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारण की अवधारणा शुरू की गई है। चिकित्सा पैकेजों की प्रति बिस्तर प्रति दिन की लागत से अत्याधुनिक दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और निदान को अलग कर दिया गया है। एचबीपी 2022 के तहत कुल मिलाकर 832 प्रक्रियाओं की दरों में वृद्धि की गई है।

जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है । सीई अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन और निगरानी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आता है। इसलिए, निजी अस्पतालों में शोषणकारी और अनैतिक मूल्य निर्धारण नीतियों को नियंत्रित और विनियमित करना संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकार की जिम्मेदारी है।

****